फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

[2024/148]

मुकदमा नम्बर :- 58/2024

भगवान सहाय बनाम फूलचन्द वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	10.07.2024	प्रार्थी अधिवक्ता ने टी0आई0 प्रार्थना पत्र पेश किया। रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड व दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में प्रार्थी की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेशी दिनांक 19.07.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	
	19/7/24	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से पवन टेलर वकील ने पावर पेश किया। शेष अप्रार्थीगण 4 ता 8 बाद तामील अनुपस्थित है। अत: इनकी तामील मानी जाकर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थी~~गण~~ अधिवक्ता ने ~~अन्त~~ जवाब न देकर अस्थाई निषेधाज्ञा पर सीधी बहस हेतु निवेदन किया। उभयपक्षकारान के अधिवक्ता ने दौराने बहस में ~~भा~~ उभयपक्षकारान को मौके की यथास्थिति बनाये रखने की सहमति जाहिर की। अत: उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि विवादित आ.ख.नं. 458/1, 459, 461/1 कुल किता 3 कुल रकबा 2.27 हे० भूमि वाके ग्राम मांगल कलां तह० चौमूं जिला जयपुर	

(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)

के मौके कि यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के संलग्न रहे/

[हस्ताक्षर]

सहायक कलक्टर
चौमू (जयपुर)